


249



न्यायालय श्री मान, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा मो प्र०,

RS033-II/16



RS-301

हरीश कुमार त्रिपाठी आ० स्व० श्री चन्द्रशेखर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 31 वर्ष ।

निवासी ग्राम डाम्हां तह० नागौद जिला सतना मो प्र० -- निगराकार  
बनाम

§ 1 § शिवेन्द्र त्रिपाठी आ० श्री जीतेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी उम्र 22 वर्ष निवासी  
डाम्हां तह० नागौद-जिला सतना मो प्र०, हाल निवास रुद्रतीपुरम फ्रेन्ड्स  
करलोनी § बांधकाम कालोनी सतना § तह० रघु० जिला सतना मो प्र०--

तारेंद्र प्र० दा० ड० य  
21-1-16  
/m

आवेदक/ गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 मो प्र० कानून मांल

निगरानी बिरुद्ध, आदेश दिनांक 17.12.015, पारित  
द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार तहसील नागौद  
जिला सतना मो प्र०, जरिये राजस्व प्र० क्र० 8/अ6/014-  
015,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

1:- यह कि गैर निगराकार ने आधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों के  
आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि गैर निगराकार के बाबा रुद्र प्रसाद  
त्रिपाठी थे, और उनके द्वारा बिवादित आराजियात का दि० 7.9.13 को

श्रीमान श्रीमान त्रिपाठी

Handwritten signature and scribbles at the bottom left.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5033-II/16

जिला-सतना

हरीश कुमार त्रिपाठी/शिवेन्द्र त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	